न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकर नगर।

UPAN010003782026

Criminal Misc. Cases/20/2026

रामसागर बनाम रामचन्दर आदि

दिनाक 10.03.2026

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत् धारा–173(4) बी.एन.एस.एस पर उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया।

2. संक्षेप में प्रार्थी का कथन है कि घटना दिनांक 30–12–2025 को रात लगभग 12 बजे की है। प्रार्थी के गांव के विपक्षीगण रामचन्दर शुक्ल पुत्र राजकरन, अनुज कुमार शुक्ला, मनोज कुमार, पंकज शुक्ला पुत्रगण लालजी, संतोष कुमार शुक्ला पुत्र दलसिंगार आदि प्रार्थी के घर के पीछे के 6 फुट की ऊंची बाउण्ड्री को जेसीबी संख्या यू०पी० 45 एटी 1832 से तोड़वा दिये और बाउन्ड्री के अंदर का हरा नीम, आम, पपीता आदि पेड़ को अंधेरे मे टार्च जलाकर कटवा दिये। सरकारी अनुदान से बना सोखता तोड़वाकर मिट्टी डलवा दिये और लैट्रिन बाथरूम का कमरा भी तोड़ दिये और प्रार्थी का दरवाजा तोड़वाकर ईंट से चुनाई करवाकर प्रार्थी का दरवाजा बन्द करवा दिये। प्रार्थी के घर वाले आवाज सुनकर उठे और तेजी से हल्ला गोहार करते हुए विरोध करने लगे। विपक्षीगण, प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जाति सूचक चमार चमकटिया साले मादरचोद आदि की भददी भददी गालियां देते हुए मारने पीटने लगे और असलहा, बंदूक दिखाते हुए कहे कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारे इसी लैटिन के कुएं में तुम्हारे पूरे परिवार को दफन कर देंगे। प्रार्थी ने 112 नम्बर पुलिस बुलायी, पुलिस आने में बहुत समय लगा दी। प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार थाने गये। थाने की पुलिस प्रार्थी की कोई बात सुन नहीं रही थी। थाने में बैठे बैठे लगभग सुबह 10 बज गया तब थाने की पुलिस घटना स्थल पर गये और दोनों पक्षों को थाने में शाम तक बैठाया गया। विपक्षीगण के प्रभाव में थाने की पुलिस आकर प्रार्थी के लिखित प्रार्थन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं किया और न ही प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के शरीर पर लगी चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराया, बल्कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के ही खिलाफ थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर दी, जिसमे प्रार्थी के लड़के परदेश में हैं, उनका भी नाम विपक्षीगण मुकदमें में डलवा दिया। विपक्षीगण के मारने से प्रार्थी और प्रार्थी की मां व पत्नी को गंभीर चोटें आयी। प्रार्थी और प्रार्थी का परिवार घटना के संबंध में थाने पर कई दिनो से दौड़ रहा है। वन विभाग को भी प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन अभी तक विपक्षीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुआ और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। स्थानीय थाने से विपक्षीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 12.01.2026 को घटना के संबंध में प्रार्थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बेडकर नगर को जरिए रजिस्टर्ड एक प्रार्थना पत्र दिया परन्तु थाने की पुलिस ने अभी तक न तो प्रार्थी के परिवार को लगी चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराया और न ही विपक्षीगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज किया। प्रार्थी मजबूर होकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष महोदय कटका को आदेशित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष कटका को आदेशित करने की कृपा की जावे।

3. प्रार्थना पत्र के साथ थाने की आख्या संलग्न है जिसके अनुसार जब जांच

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.10 19:06:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया तो पाया गया कि आवेदक रामसागर आदि द्वारा प्रतिवादी सन्तोष कुमार शुक्ला के साथ गाली गलौज व मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में वादी सन्तोष सन्तोष कुमार शुक्ला द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 246/2025 धारा 191(2), 115(2),351(3) बी.एन.एस. आवेदक रामसागर आदि 05 नफर दर्ज है जिसकी विवेचना की जा रही है। आवेदक के साथ कोई घटना होना प्रकाश में नहीं आया है। आवेदक द्वारा पेशबन्दी में आरोप लगाकर एफ.आइ.आर. दर्ज कराना चाहता है। इस प्रकरण में थाना हाजा पर एफ.आइ.आर. दर्ज नहीं है।

4. प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को अगर देखा जाए तो उसमें घटना की तिथि 30.12.2025 समय 12 बजे रात्रि की बतायी गई है जिसमें विपक्षीगण द्वारा आवेदक व उसके परिवार वालों को जातिसूचक भद्दी भद्दी गालियां, मारना पीटना, असलहा दिखाना व परिवार को खत्म करने की धमकी देना कहा गया है और आवेदक का लैट्रिन, बाथरूम, कमरा तोड़ना व सरकारी अनुदान से बना सोख्ता तुड़वाकर मिट्टी डलवा देना, पेड़ आदि काटना कहा गया है।

5. मामले में देखा जाये तो जो थाने की आख्या आहूत हुई है उसमें उल्लिखित है कि आवेदक रामसागर आदि द्वारा प्रतिवादी सन्तोष कुमार शुक्ला के साथ गाली गलौज व मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में वादी सन्तोष सन्तोष कुमार शुक्ला द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 246/2025 आवेदक रामसागर आदि 05 नफर दर्ज है। आवेदक के साथ कोई घटना होना प्रकाश में नहीं आना तथा आवेदक द्वारा पेशबन्दी में आरोप लगाकर एफ.आइ.आर. दर्ज कराना अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले में अब थाने द्वारा जांच कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे इस स्तर पर देखा जाये तो प्रार्थी/आवेदक ने घटना का सम्पूर्ण विवरण एवं दिनांक व स्थान आदि का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी/आवेदक को घटना की सम्पूर्ण जानकारी है, जिसके संबंध में आवेदक स्वयं न्यायालय के समक्ष दोषारोपण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके घटना को साबित कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **जोसेफ माथुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी 2001(सप्ली0)ए.सी.सी. पेज–957** तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय राम **बाबू गुप्ता–बनाम–स्टेट आफ यू0पी0 2001(2) जे.आई.सी. पेज–231 (फुल बेंच)** तथा निर्णय **क्रिमिनल मिसलेनियस अपील सं0–9297/2007, सुखवासी–बनाम–स्टेट निर्णय दिनांकित 18.09.07** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि यदि न्यायालय उचित समझती है तो धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकती है तथा उस पर प्रसंज्ञान ले सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामला परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/आवेदक राम सागर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाय। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस दिनांक 15.04.2026 को पेश हो। प्रार्थी/आवेदक गवाहान की सूची उक्त दिनांक को प्रस्तुत करें।

दिनांकः–10.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे.ओ.कोड–यू.पी.1874